भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2443

सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

हजारीबाग में ठेका श्रमिकों का कल्याण और सामाजिक सुरक्षा लाभ

2443. श्री मनीष जायसवाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड के हजारीबाग जिले में कोयला खनन, कोयला परिवहन और संबद्ध उद्योगों में लगे ठेका श्रमिकों के रोजगार सृजन तथा उनकी कार्य-स्थितियों का कोई आकलन किया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हजारीबाग में ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत श्रमिकों तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) एवं कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत शामिल किए गए श्रमिकों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को जिले में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी न देने, सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी, असुरक्षित कार्य-स्थितियों और श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा हजारीबाग में श्रम कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करने, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करने तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) अपने हजारीबाग क्षेत्र के माध्यम से हजारीबाग जिले में कोयला खनन गतिविधियों का संचालन करती है, जिसमें नौ परियोजनाएं शामिल हैं।

इन परियोजनाओं में खनन, ओवरबर्डन हटाने, कोयला निष्कर्षण, क्रशिंग तथा परिवहन संबंधी कार्य आंशिक रूप से विभागीय स्तर पर तथा आंशिक रूप से विधिवत जारी

किए गए कार्यादेशों/अनुबंधों के अंतर्गत नियुक्त आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से किए जाते हैं। नियमित प्रशासनिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत, ऐसी आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा तैनात जनशक्ति तथा उन्हें आवंटित कार्य की प्रकृति एवं दायरे का निरंतर आधार पर आकलन और निगरानी की जाती है।

इन कामगारों की कार्य परिस्थितियाँ, जिनमें सुरक्षा, वेतन तथा वैधानिक अनुपालन शामिल हैं, लागू श्रम संहिताओं के अंतर्गत, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), राँची के कार्यालय द्वारा समय-समय पर निरीक्षण के अधीन होती हैं।

हजारीबाग जिले में ईपीएफओ के तहत शामिल अंशदान करने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	अंशदायी सदस्य
2023-24	21981
2024-25	28921
2025-26	31501
2026-27 (जून, 2026)	25636

टिप्पणी: अंशदायी सदस्य का अर्थ है सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) वाले सदस्य जिन्होंने प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम एक बार अंशदान दिया है।
स्रोत: ईपीएफओ, एमओएलई

दिनांक 31-3-2025 की स्थिति के अनुसार, झारखंड राज्य (हजारीबाग सहित) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत कवर किए गए बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों की संख्या क्रमश 5,54,980 और 21,53.322 है।

इसके अतिरिक्त, ईएसआईसी ने नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीआरईई, 2025) शुरू की है, जो 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक की अवधि के लिए थी, जिसे आगे एक माह की अवधि के लिए बढ़ाकर 31 जनवरी, 2026 तक कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत, झारखंड राज्य में कुल 3,251 नए नियोक्ताओं और 1,24,010 नए कर्मचारियों को ईएसआईसी कवरेज के अंतर्गत लाया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को असंगठित कामगारों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के उद्देश्य से ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) शुरू किया, जिसमें प्लेटफॉर्म कामगार, प्रवासी कामगार आदि शामिल हैं। ई-श्रम पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करता है। वर्ष 2021 से

29.07.2026 तक हजारीबाग में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों की संख्या 5.95 लाख है।

केंद्र सरकार ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 लागू की है, जो 21.11.2025 को लागू हुई है, जो खदानों सहित किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को विनियमित करने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए लागू हुई है। केंद्र सरकार ने 08.05.2026 को ओएसएच और डब्ल्यूसी (केंद्रीय) नियम 2026 को भी अधिसूचित किया है। ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता 2020 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, खतरनाक प्रक्रियाओं, दंड और प्रक्रिया आदि से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं।

ओएसएच एवं डब्ल्यूसी संहिता 2020 के अंतर्गत पंजीकृत खानों के अधिभोगी और प्रबंधक को संहिता तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्य किया गया है। इसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में, मुख्य निरीक्षक सह सुविधाकर्ता/ निरीक्षक सह सुविधाकर्ता को खानों के अधिभोगी और प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार प्राप्त है।

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) के माध्यम से खानों का जोखिम आधारित और यादृच्छिक निरीक्षण करता है। डीजीएमएस द्वारा निरीक्षणों और निष्कर्षों के दौरान की गई टिप्पणियों के आधार पर, उल्लंघनों के सुधार/अनुपालन के लिए प्रबंधनों को उपयुक्त रूप से संबोधित किया जाता है और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
